



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277377
CG-DL-E-23102026-277377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 837]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 908(अ).— केंद्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 22 मई, 2026 की अधिसूचना, सा. का. नि. सं. 390 (अ.) का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, श्रीमती प्रीति नाथ, पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री समीर कुमार, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक कोचीन पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2026

G.S.R. 908(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways, (PHRD Division) G. S. R. No. 390 (E) dated 22nd May, 2026, the Central Government hereby appoints Shri Samir Kumar, Senior Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Smt. Preeti Nath, Former Senior Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways as an ex-officio Member of the Board of Cochin Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour (Part-2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.